न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 87/2016
वाद दायरी दिनांक : 17/06/2016
निर्णय दिनांक : 03/05/2017

हनुमान पुत्र रामनाथ, जाति जोगी, निवासी हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।

–– वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – श्री प्रमोद कुमार जैन
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक...03/05/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 368 के आराजी खसरा नम्बर 1272, 1273, 1700, 1704, 1752, 1766, 2151, 2250, 2305, 2315 कुल किता 10 कुल रकबा 6.2000 हैक्टेयर, खाता संख्या 379 के आराजी खसरा नम्बर 2354 कुल किता 01 कुल रकबा 1.6100 हैक्टेयर, खाता संख्या 378 के आराजी खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.7100 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खाता संख्या 372 के आराजी खसरा नम्बर 1220 रकबा 0.8800 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.8800 हैक्टेयर, खाता संख्या 373 के आराजी खसरा नम्बर 1257 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खाता संख्या 374 के आराजी खसरा नम्बर 2311 कुल किता 01 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर, खाता संख्या 370 के आराजी खसरा नम्बर 3135/2310 रकबा 1.4400 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खाता संख्या 371 के आराजी खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.7100 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर ग्राम हरसौली, तहसील

उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

दूदू जिला जयपुर में स्थित है, जिसका वादी मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार अपने हिस्से का एकमात्र् काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं तथा लगान सरकारी अदा करता आ रहा हैं। वादी का सही एवं वास्तविक नाम हनुमान पुत्र रामनाथ है, लेकिन सहवन से उक्त राजस्व अभिलेखो में खाता संख्या 368 में वादी का नाम मंगला, 379 में वादी का नाम माननाथ, 378 में मंगलचन्द, 372 में मंगलनाथ, 373 में मंगलनाथ, 374 में मंगलनाथ, 370 में माननाथ, 371 में मंगलनाथ दर्ज कर दिया गया है, जो कि गलत हुआ एंव दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी के समस्त दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान–पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड आदि अन्य सभी दस्तावेजों में वादी का सही एवं वास्तविक नाम हनुमान पुत्र रामनाथ ही दर्ज है, जिससे भी साबित है कि जो राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भिन्न–भिन्न मंगला, माननाथ, मंगलचन्द मंगलराम दर्ज किया गया है, वह मात्र् राजस्व कारकुनानों की भूलवश लेखनीय अशुद्धि से हुआ है, जो दुरूस्तनीय हैं। उक्त आराजीयात पूर्व में वादी के पिता की आराजीयात रही है, जो जरिये विरासत वादी को प्राप्त हुई है, जिसमें उक्त त्रुटि राजस्व कारकुनानों द्वारा कारित की गयी है, जो कि काबिले दुरूस्ती हैं। दिनांक 08/06/2016 को वादी ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर वादी ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार एवं पटवार हल्का ने दुरूस्ती इन्द्राज करने से इन्कार कर दिया, जिससे वादी को उक्त वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का किया जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में दर्ज चालू राजस्व अभिलेखो में वादी का नाम खाता संख्या 368 में मंगला, 379 में माननाथ, 378 में मंगलचन्द, 372 में मंगलनाथ, 373 में मंगलनाथ, 374 में मंगलनाथ, 370 में माननाथ व 371 में मंगलनाथ को हजफ किया जाकर उसके स्थान पुत्र हनुमान पुत्र रामनाथ दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 17/06/2016 को तहसीलदार दूदू से प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिये गये। दिनांक 02/01/2017 प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित

Scanned by CamScanner

होकर जवाब पेश किया। दिनांक 20/02/2017 को वादी ने गवाहों के शपथ–पत्र एवं दस्तावेज सूची पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी एवं साथ ही वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0 दी0 पेश किया गया, जो स्वीकार किया जाकर वाद में वांछित संशोधन लाल स्याही से किया गया। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार को सुना गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, छाया प्रति आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र सैकेण्डरी स्कूल की अंकतालिका, सीनियर सैकण्डरी स्कूल की अंकतालिका, जाति प्रमाण–पत्र, प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत हरसौली, नकल नामान्तरकरण किता–8 आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 368 में वादी का नाम मंगला, 379 में वादी का नाम माननाथ, 378 में मंगलचन्द, 372 में मंगलनाथ, 373 में मंगलनाथ, 374 में मंगलनाथ, 370 में माननाथ, 371 में मंगलनाथ दर्ज हो रखा है, जबकि वादी ने अपने वाद–पत्र में अपना वास्तविक नाम हनुमान पुत्र रामनाथ होना दर्ज किया है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, राशनकार्ड, मूल निवास प्रमाण–पत्र सैकेण्डरी स्कूल की अंकतालिका, सीनियर सैकण्डरी स्कूल की अंकतालिका, जाति प्रमाण–पत्र आदि में वादी का नाम हनुमान पुत्र रामनाथ अवश्य दर्ज है, मौका पर्चा ग्राम हरसौली दिनांक 20/09/2016 के अनुसार भी मंगल उर्फ मंगला उर्फ माननाथ पि. रामनाथ का वास्तविक नाम हनुमान पुत्र रामनाथ होना पाया जाता है, इसी प्रकार ग्राम पंचायत हरसौली द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 07/02/2017 व दिनांक 05/04/2017 में सरपंच ग्राम पंचायत हरसौली ने अंकित किया है कि "मंगला, माननाथ, मंगलचन्द, मंगलनाथ पुत्र रामनाथ, जाति जोगी निवासी हरसौली सभी नामों का एक ही व्यक्ति है, जिसका वास्तविक नाम हनुमानलाल पुत्र रामनाथ जाति जोगी निवासी हरसौली हैं, इन नामों का कोई अन्य व्यक्ति ग्राम हरसौली में निवास नही करता हैं। यह सभी नाम हनुमान लाल जोगी के ही हैं।" इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान पी.डब्ल्यू 1 स्वंय वादी, पी. डब्ल्यू 4 सुजाराम, पी.डब्ल्यू 5 सुवाराम आदि जिन्होनें भी अपने बयानों में वादी के

Scanned by CamScanner

वाद की ताईद की हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन उपरान्त वादी अपने वाद–पत्र को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से पूर्णतया साबित करने में सफल रहा हैं। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 368 के आराजी खसरा नम्बर 1272, 1273, 1700, 1704, 1752, 1766, 2151, 2250, 2305, 2315 कुल किता 10 कुल रकबा 6.2000 हैक्टेयर, खाता संख्या 379 के आराजी खसरा नम्बर 2354 कुल किता 01 कुल रकबा 1.6100 हैक्टेयर, खाता संख्या 378 के आराजी खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.7100 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खाता संख्या 372 के आराजी खसरा नम्बर 1220 रकबा 0.8800 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 0.8800 हैक्टेयर, खाता संख्या 373 के आराजी खसरा नम्बर 1257 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खाता संख्या 374 के आराजी खसरा नम्बर 2311 कुल किता 01 कुल रकबा 1.6800 हैक्टेयर, खाता संख्या 370 के आराजी खसरा नम्बर 3135/2310 रकबा 1.4400 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खाता संख्या 371 के आराजी खसरा नम्बर 1255 रकबा 0.7100 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.7100 हैक्टेयर ग्राम हरसौली, तहसील दूदू में दर्ज मंगला, माननाथ, मंगलचन्द, मंगलनाथ को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर हनुमान पुत्र रामनाथ दर्ज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03/05/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

यूनिक ट्रेडर्स, 250, चौड़ा रास्ता, जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

बज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू मुकाम दूदू

बइजलास श्री त्रिलोकचन्द मीणा (R.A.S.)

हनुमान पुत्र रामनाथ बनाम तहसीलदार तहसील दूदू

जोगी नि० ढासोली दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज

मुकद्दमा नं. 87/2016 सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल पेश हुआ श्री प्रमोद कुमार जैन एड०

व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई हुआ

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र आराजी खाता संख्या 368 के आ० ख० न० 1272, 1273, 1700, 1704, 1752, 1766, 2151, 2250, 2305, 2315 कुल किता 10 कुल रकबा 6.2000 हे० खाता सं० 379 के आ० ख० नं० 2354 कुल किता-01 कुल रकबा 1.6100 हे० खाता सं० 378 के आ० ख० न० 1224 रकबा 0.7100 हे० कुल किता-01 कुल रकबा 0.7100 हे० खाता सं० 372 के आ० ख० न० 1220 रकबा 0.8800 हे० कुल किता 1 कुल रकबा 0.8800 हे० खाता सं० 373 के आ० ख० न० 1257 रकबा 0.4000 हे० कुल किता 1 कुल रकबा 0.4000 हे० खाता सं० 374 के आ० ख० न० 2311 कुल किता 1 कुल रकबा 1.6800 हे० ...

आज तारीख 03-05-2017 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

(मोहर: अधिकारी ... दूदू)

श्री
उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालत नामा	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन	
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक	
मुतफरिक				
मीजान			मीजान	

नोट—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

२८. खाता संख्या 370 के आराजी खि.न. 3135/2310 रकबा 1.4400 है० कुल किता 01 कुल रकबा 1.4400 है० खाता सं० 371 के आराजी खसरा 1255 रकबा 0.7100 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.7100 है० ग्राम हरसौली तहसील दूदू में दर्ज मंगला, माननाथ, मंगलचन्द, मंगलनाथ को हजफ किया जाकर उनके स्थान पर हनुमान पुत्र रामनाथ दर्ज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
दूदू जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner